

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), नई दिल्ली के लिए वैज्ञानिक-बी (नॉन-मेडिकल) के पदों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती परीक्षा



सूचना संख्या 377/2025 दिनांक: 02/02/2026

परिषद मुख्यालय एवं इसके संस्थानों/केंद्रों के लिए वैज्ञानिक-बी के (नॉन-मेडिकल) पदों हेतु भर्ती परीक्षा

परीक्षा अनुभाग

द्वारा संचालित



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
प्रथम तल, कन्वर्जेंन्स ब्लॉक,  
अंसारी नगर, नई दिल्ली – 110029, भारत

एम्स नई दिल्ली, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) नई दिल्ली की ओर से, मुख्यालय/केंद्रों/संस्थानों के वैज्ञानिक-बी (नॉन-मेडिकल) के पदों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

### महत्वपूर्ण तारीखें:

ऑनलाइन पंजीकरण करने की अंतिम तारीख	01 मार्च, 2026 सायं 5:00 बजे तक	
<b>महत्वपूर्ण सूचना</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• कृपया ऑनलाइन आवेदन को सावधानीपूर्वक भरें। हो सकता है कि बताए गए अनुसार परिवर्तन करना संभव न हो।</li> <li>• सभी आवेदकों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले विज्ञापन के विवरण, पदों और पात्रता के बारे में अवश्य पढ़ लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने से पूर्व वे पात्रता के सभी पहलुओं की शर्तों को पूरा करते हैं।</li> <li>• अभ्यर्थी की पात्रता अनंतिम होगी और केवल आवेदन पत्र भरने और परीक्षा में उपस्थित होना पात्रता की वैधता के रूप में मान्य नहीं होगा और प्रस्तावित पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद सहित, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार की अयोग्यता पाए जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।</li> <li>• परीक्षा अनुभाग, एम्स नई दिल्ली केवल परीक्षा आयोजित करने वाली एक संस्था है और नियुक्ति आईसीएमआर, नई दिल्ली के निर्णय के अधीन होगी।</li> </ul>		
<b>विवरण</b>	<b>.....से आरंभ</b>	<b>.....को समाप्त</b>
विस्तृत विज्ञापन अपलोड करने की तारीख और आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत करने की तारीख	02 फरवरी, 2026	01 मार्च, 2026
परीक्षा में उपस्थिति की स्वीकृति के लिए आवेदन-प्रपत्र की स्थिति की तारीख	10 मार्च, 2026	
सरकारी/अर्ध-सरकारी/अर्ध-स्वायत्त/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्त निकायों या किसी भी सरकारी वित्तपोषित संस्थान में कार्यरत आवेदकों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जमा करना आवश्यक है।	10 मार्च, 2026	
आवेदन पत्र में सुधार करने की अनुमति की तारीख	10/02/2026	13/03/2026 (5.00 बजे तक)
परीक्षा केंद्र का शहर	केवल दिल्ली/एनसीआर	
प्रवेश-पत्र जारी करने की तारीख	बाद में घोषित किया जाएगा	
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) की तारीख	बाद में घोषित किया जाएगा	

### आवेदन-शुल्क:

क) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी - 3000/- रुपये (मात्र तीन हजार रुपये)

ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी - 2400/- रुपये (मात्र दो हजार चार सौ रुपये)

ग) दिव्यांगजन - छूट है।

- अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। बैंक को देय लेन-देन/प्रसंस्करण शुल्क, यदि कोई है, तो अभ्यर्थी को देना होगा।
- एक बार जमा किया हुआ आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
- निर्धारित शुल्क के बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

## विषय-सूची

महत्वपूर्ण तारीख.....	2
आवेदन-शुल्क.....	2
1. सामान्य शर्तें.....	4
2. आयु में छूट.....	5
3. सरकारी कर्मचारी आवेदकों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र.....	6
4. जाति/श्रेणी प्रमाण-पत्र.....	7
5. परीक्षा-केंद्र.....	8
6. प्रवेश-पत्र.....	8
7. परीक्षा का पैटर्न, योजना और पाठ्यक्रम.....	8
8. गुणवत्ता सूची तैयार करना और बराबरी के मामलों का समाधान करना.....	9
9. स्क्राइब और प्रतिपूरक समय के नियम.....	9
आवेदन पत्र भरने के लिए दिशा-निर्देश/अनुदेश:-	
10. कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई.....	10
11. कानूनी क्षेत्राधिकार.....	12
12. अनुलग्नक-I: पात्रता.....	12
13. अनुलग्नक-II: पदों की संख्या.....	13
14. अनुलग्नक-III: भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लिए आयु में छूट.....	14
15. अनुलग्नक-IV: दिव्यांगजन अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण.....	15
16. अनुलग्नक-V: संपर्क के लिए सूचना.....	15
परिशिष्ट ए: कंप्यूटर आधारित परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी में शारीरिक अक्षमताओं के संबंध में प्रमाण-पत्र.....	16
परिशिष्ट-क-1.....	16
परिशिष्ट-क-2.....	17
परिशिष्ट-क-3.....	18
परिशिष्ट ख: अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप.....	19
परिशिष्ट ग: ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र के लिए प्रारूप.....	20
परिशिष्ट-घ: आयु में छूट चाहने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप.....	21

## 1. सामान्य शर्तें

1. सभी इच्छुक अभ्यर्थी जो एम्स नई दिल्ली द्वारा आयोजित आईसीएमआर, मुख्यालय एवं उसके संस्थानों/केंद्रों के लिए वैज्ञानिक-बी (नॉन-मेडिकल) के पदों की भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें वेबसाइट [www.aiimsexams.ac.in](http://www.aiimsexams.ac.in) पर भर्ती बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन करना है।
2. प्रत्येक पद के लिए पात्रता मानदंड, जैसा कि अनुलग्नक-I में परिभाषित किया गया है, तथा रिक्ति की स्थिति, जैसा कि अनुलग्नक-II में प्रकाशित किया है, किसी भी बाद के नोटिस, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट के साथ पढ़ा जाए, लागू होगी।
3. इन पदों पर संबंधित शहरों में नियुक्त समान स्थिति वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय सामान्य भत्ते लागू होंगे।
4. सभी प्रकार के पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक आवेदक केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट [www.aiimsexams.ac.in](http://www.aiimsexams.ac.in) के माध्यम से 02 फरवरी, 2026 से 01 मार्च, 2026 तक सांय 5:00 बजे तक किए जा सकते हैं। कोई भी दस्तावेज़ ऑनलाइन आवेदन पत्र सहित भौतिक रूप से भेजने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण से संबंधित किसी भी प्रकार के भौतिक दस्तावेज़ को निरस्त कर दिया जाएगा और उसे नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि, सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र की एक प्रति अपने पास रखें, साथ ही भुगतान का प्रमाण भी अपने रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखें। पंजीकरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किसी भी माध्यम जैसे ईमेल/पत्र द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण फॉर्म सावधानीपूर्वक भरें, चूंकि प्रक्रिया के अनुसार विनिर्दिष्ट तारीख के बाद किसी भी सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल 01 मार्च, 2026 को सांय 5:00 बजे तक बंद हो जाएगा। निर्धारित तारीख और समय तक ऑनलाइन आवेदन पूरा न करने वाले आवेदकों की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जिन आवेदकों ने अंतिम तारीख तक परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है, उन्हें संपादन खिड़की (EDIT PANEL) खुलने के दौरान सुधार करने की अनुमति दी जा सकती है।
6. **आवेदन रद्द होने के कारण/स्थिति:** केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्हें पंजीकरण के दौरान स्थिति में सुधार की आवश्यकता है या जिन्होंने आवेदन पत्र पूरा कर लिया है, और जिन्होंने भुगतान कर दिया है, उनके लिए संपादन खिड़की (EDIT PANEL) 10 मार्च, 2026 से 13 मार्च, 2026 तक उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि इस संबंध में आगे कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। पंजीकरण शुल्क जमा करने के बाद, लागू आरक्षण श्रेणियों में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में गलत जानकारी पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
7. संपादन खिड़की (EDIT PANEL) की अंतिम तारीख आगे नहीं बढ़नी है, और ऑनलाइन पंजीकरण प्रकाशन की अंतिम तारीख को ही आवेदन पत्र की अंतिम/समाप्त तारीख माना जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी पद के लिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की स्वयं जाँच कर लें ताकि चयन के बाद अस्वीकृति से बचा जा सके।
8. चूंकि यह परीक्षा पात्रता की जाँच के बिना ही आयोजित की जाएगी, इसलिए यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपात्रता पाई जाती है, तो अभ्यर्थी को शुरु से ही अयोग्य माना जाएगा।
9. इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे आवेदित पदों के लिए अपनी पात्रता के विषय में स्वयं को अपनी आत्मसंतुष्टि कर लेनी चाहिए। सभी को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है, ऐसा करने में असफल रहने पर उनके आवेदन तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे। अपेक्षित शैक्षिक योग्यता/अनुभव ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक या उससे पहले पूरा किया हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार, अभ्यर्थी ने वांछित अनुभव की अवधि कट-ऑफ तारीख, अर्थात् ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक या उससे पहले पूरी की हो।

- पात्रता शर्तों को पूरा न करने वाले आवेदकों की उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में बिना किसी सूचना के रद्द कर दी जाएगी।
10. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान की छवियाँ "सामान्य" लिंक में दिए गए "अपलोड फोटो अनुदेशों" में उल्लेखित दिशानिर्देशों के अनुसार हैं और ऑनलाइन मोड पर आवेदन भरते समय पूर्वावलोकन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यदि फोटो/हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान की छवि "अपलोड फोटो अनुदेशों" में दिए गए अनुदेशों के अनुसार नहीं है, तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान की छवियाँ अपलोड करते समय पूरी सावधानी रखी जाए।
  11. परिषद द्वारा मांग किए जाने पर तथा दस्तावेज़ सत्यापन के दिन भी शैक्षिक अर्हकता प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से जमा करवाने हैं, ऐसा करने में असफल रहने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
  12. परीक्षा के आयोजन और सीबीटी परीक्षा के परिणाम से संबंधित विस्तृत जानकारी (जैसे आवेदन की स्थिति अपलोड करने की तारीख, प्रवेश पत्र अपलोड करने की तारीख आदि) एम्स, नई दिल्ली के परीक्षा अनुभाग द्वारा यथासमय वेबसाइट [www.aiimsexams.ac.in](http://www.aiimsexams.ac.in) पर अपलोड कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना प्रवेश पत्र एम्स की वेबसाइट [www.aiimsexams.ac.in](http://www.aiimsexams.ac.in) से डाउनलोड करें, क्योंकि कोई भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा।
  13. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे एम्स की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र ऑनलाइन (सीबीटी) मोड परीक्षा के समय साथ लाएँ और परीक्षा समाप्त होने के बाद उसे निरीक्षक को सौंप दें, ऐसा करने में असफल रहने पर ऑनलाइन (सीबीटी) मोड परीक्षा में उनकी उम्मीदवारी/प्रदर्शन पर विचार नहीं किया जाएगा।
  14. अनंतिम रूप से योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन परिषद द्वारा किया जाएगा। सभी उम्मीदवार यह नोट कर लें और यह माना जाए कि आपके पास ऑनलाइन आवेदन करने वाले दिन/इस विज्ञापन में प्रकाशित वैधता के अनुसार आईसीएमआर द्वारा जब भी जमा करने को कहा जाए उस दिन तक अपनी पात्रता प्रमाणित करने के लिए सभी अपेक्षित प्रमाण-पत्र मौजूद हों, जिनमें जाति प्रमाण-पत्र/नियोक्ता अनापति प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण-पत्र आदि शामिल हैं, और इन्हें मांगे जाने पर अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे। निर्गम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में आवंटित संस्थान पर आईसीएमआर का निर्णय अंतिम होगा।
  15. किसी भी रूप में बाहरी प्रभाव डालना/डलवाना अयोग्यता माना जाएगा।
  16. किसी भी विज्ञापित पद पर चयन हो जाने के बाद, उसकी नियुक्ति का स्थान परिषद के सक्षम प्राधिकारी के अधीन होगा।
  17. आवेदकों की अधिक संख्या को देखते हुए, भर्ती परीक्षा के समय पात्रता मानदंड, श्रेणी प्रमाण पत्र आदि की जाँच नहीं की जा सकती है। आवेदक द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई घोषणा के आधार पर, उन्हें ऑनलाइन (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए अनंतिम रूप से पात्र घोषित किया जाएगा। हालाँकि, सीबीटी (ऑनलाइन परीक्षा)/साक्षात्कार/परिणाम से पहले आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर प्रारंभिक जाँच की जाएगी। अतः आवेदन केवल अनंतिम रूप में स्वीकार किए जाते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अपेक्षित शैक्षिक योग्यता, आयु, अनुभव आदि को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो लें। यदि कोई भी जानकारी या दावा प्रामाणित नहीं पाया जाता है, तो किसी भी चरण में उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, जिसमें परिषद द्वारा दस्तावेजों की जाँच करना भी शामिल है।
  18. सभी चयन लिखित/सीटीबी परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त योग्यता-सूची के क्रम के अनुसार किए जाएँगे। पात्र/चयनित अभ्यर्थी निर्धारित ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड में दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगा, जिसमें मूल और अन्य दस्तावेजों का आईसीएमआर द्वारा सत्यापन भी शामिल है।
  19. प्रक्रिया के किसी भी चरण में यदि कोई भी आवेदक विज्ञापन/भर्ती नियमों के अनुसार निर्धारित योग्यता/अनुभव और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता हुआ पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी कोई सूचना दिए बिना रद्द कर दी जाएगी और पद निरस्त कर दिया जाएगा।

20. यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र और आवंटित पद में किसी आरक्षण श्रेणी का दावा करता है और आवश्यकता पड़ने पर वैध श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और पद निरस्त कर दिया जाएगा तथा किसी भी पद पर कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
21. इस संदर्भ में, किसी भी मामले से संबंधित कोई भी विवाद केवल दिल्ली स्थित न्यायालयों के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में ही होगा।

## 2. आयु में छूट:

- क) अभ्यर्थियों की आयु की शर्तों में पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख होगी।
- ख) अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, इन श्रेणियों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों को दी जाने वाली आयु में छूट व कट ऑफ अंकों में दी जाने वाली छूट के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) जो उनके मामले में लागू आयु में छूट के कारण पात्र हुए हैं, उन पर केवल उसी श्रेणी की आरक्षित सीटों के लिए विचार किया जाएगा, जिस श्रेणी से वे संबंधित हैं, चाहे उनके पास अनारक्षित श्रेणी के लिए विचार किए जाने की मेरिट योग्य योग्यता ही क्यों न हो।
- ग) डीओपीटी के दिनांक 06.09.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1667569393892 में अंतर्निहित दिशानिदेशों के अनुपालन में, दिव्यांग व्यक्तियों को आयु में छूट इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना स्वीकार्य होगी कि पद दिव्यांग व्यक्ति के लिए आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि पद को दिव्यांगता की प्रासंगिक श्रेणी के लिए उपयुक्त के रूप में चिन्हित किया गया हो।
- घ) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 (1) में उल्लेखित तथा संस्थान द्वारा उपर्युक्त विज्ञापित पदों के लिए चिन्हित किए गए दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी, बशर्ते कि उनकी बैचमार्क दिव्यांगता 40% के बराबर या उससे अधिक हो।
- ड) विभिन्न आवेदकों के लिए आयु में छूट की अनुमति निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा पार करने के बाद आयु में छूट स्वीकार्य है
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3 वर्ष
3.	दिव्यांगजन	10 वर्ष, इस शर्त के अधीन कि निर्णायक तारीख तक आवेदक की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।
4.	दिव्यांगजन + अन्य पिछड़ा वर्ग	13 वर्ष, इस शर्त के अधीन कि निर्णायक तारीख तक आवेदक की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।
5.	दिव्यांगजन + अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15 वर्ष, इस शर्त के अधीन कि निर्णायक तारीख तक आवेदक की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
6.	भूतपूर्व सैनिक और कमीशन प्राप्त अधिकारी, जिनमें ECO/SSCO शामिल हैं	5 वर्ष (कृपया अनुलग्नक-III देखें)
<b>केंद्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी - ग्रुप ए पद के लिए</b>		
	1) केंद्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य/अनारक्षित) जिन्होंने ऑनलाइन	5 वर्ष

	आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो।	
	2) केंद्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी (अन्य पिछड़ा वर्ग) जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो।	8 (5 +3) वर्ष
	3) केंद्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो।	10 (5+5) वर्ष

#### टिप्पणी:

1. उपर्युक्त तालिका में उल्लेखित छूट के अलावा अन्य कोई छूट लागू नहीं होगी।
2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में दी जाने वाली छूट भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार होगी।

#### 3. सरकारी कर्मचारी अभ्यर्थियों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय वर्तमान नियोक्ता (सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों या सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी संस्थान में कार्यरत अभ्यर्थियों के मामले में) द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा किसी भी पद के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें। इसके अलावा, दस्तावेजों के सत्यापन के समय उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. आयु में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए, उन्हें अनिवार्य रूप से अनुलग्नक-1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और परिषद द्वारा मांगे जाने पर एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आयु में छूट लेने के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" के साथ-साथ सतर्कता मंजूरी और सत्यनिष्ठता प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, ऐसा करने में विफल होने पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

#### 4. जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र

1. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 30.05.2014 को जारी कार्यालय जापन संख्या 36036/2/2013-स्था.(आरईएस) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 14.03.2016 के कार्यालय जापन संख्या 36011/1/12-स्था. (आरईएस) स्पष्टीकरण में प्रदान किए गए प्रारूप में वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र में आवेदक की नॉन-क्रीमी लेयर स्थिति का उल्लेख होना चाहिए (डीओपीटी के दिनांक 15.11.1993 के कार्यालय जापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा जारी नॉन-क्रीमी लेयर स्थिति)। अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक जो 'नॉन-क्रीमी लेयर' से संबंध रखते हैं और जिनकी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची (राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित) में शामिल है, जो वेबसाइट <https://ncbc.nic.in> पर उपलब्ध है, वे अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत विचार के पात्र होंगे (डीओपीटी के दिनांक 31 मार्च 2016 के कार्यालय जापन संख्या 36036/2/2013-स्था. (आरईएस -I) के

अनुसार आवेदकों की नॉन-क्रीमी लेयर स्थिति के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि)। नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र की वैधता वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 01.04.2025 से 01.03.2026 तक (आवेदन की अंतिम तारीख तक) जारी किए गए प्रमाण-पत्रों के लिए होगी।

यदि पंजीकरण के समय आवेदक के पास वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए वैध अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र नहीं है, तो आवेदक को अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण हेतु किए गए आवेदन की पावती पर्ची के साथ पूर्व में जारी (पिछला) अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा। हालाँकि, जब वैध प्रमाण-पत्र जमा/अपलोड करने के लिए कहा जाए, तो आवेदक को ऊपर उल्लेखित निर्धारित तारीख के अनुसार वित्तीय वर्ष (2025-2026) के लिए वैध लागू प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस अतिरिक्त प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो) में उसके पहले से जारी मूल जाति प्रमाण-पत्र का संदर्भ होना चाहिए। संबंधित राज्य के लिए मान्य (केंद्र सरकार के लिए नहीं) ओबीसी प्रमाणपत्र अपलोड करने वाले उम्मीदवार, नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के बावजूद, अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

- II. ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत विज्ञापित रिक्तियाँ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था.(आरईएस) के निदेशों के अनुसार हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले आवेदनों पर विचार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता के सत्यापन के अधीन किया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था.(आरईएस) के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024-2025 की आय के आधार पर केंद्रीय सरकार में रोजगार के लिए निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र, जो 01.04.2025 से आवेदन की अंतिम तारीख अर्थात् 01.03.2026 तक जारी किया गया हो और वर्ष 2025-2026 के लिए वैध हो, वैध माना जाएगा। 01-04-2025 से पहले जारी किया गया और आवेदन की अंतिम तारीख अर्थात् 01.03.2026 के बाद जारी किया गया कोई भी प्रमाण-पत्र वैध नहीं माना जाएगा।
- III. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत पात्रता भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होगी।
- IV. जो अभ्यर्थी दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान या उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ने पर, वैध श्रेणी का प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन आदि) प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। **सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी रद्द होने से बचने के लिए ज़रूरी वैध श्रेणी के प्रमाण-पत्र पहले ही ले लें।**
- V. जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण श्रेणी का दावा किया है और वे प्रकाशित मानदंडों के अनुसार वैध श्रेणी का लागू प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो आरक्षित श्रेणी में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, और आवंटित सीटें निरस्त कर दी जाएंगी।
- VI. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/02/2017-स्थापना (आरईएस) में अंतर्निहित निदेशों/अनुदेशों के अनुसार होगा। केवल वे व्यक्ति ही सेवा/पदों में दिव्यांगजन आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण के पात्र होंगे जो कम से कम 40% शारीरिक विकलांगता से पीड़ित होंगे। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उसे निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। हालाँकि, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की आरक्षण की पात्रता का मूल्यांकन संबंधित एम्स के कार्यकारी निदेशक द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड के या संबंधित संस्थान के अधीन होगा। यह मेडिकल बोर्ड उस पद के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगा जिस पद के लिए उस अभ्यर्थी पर विचार किया जा रहा है। इस मामले में भारत सरकार के सभी संशोधित और लागू अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा। इस भर्ती के लिए विज्ञापित पद पहले से ही लागू दिव्यांगजन श्रेणी के लिए

चिन्हित/निर्धारित हैं, अतः दिव्यांग अभ्यर्थी दिव्यांगजन कोटे के अंतर्गत चिन्हित और ऐसे पदों के सामने उल्लेखित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापित दिव्यांगजन श्रेणियों का विवरण निम्नानुसार है-

- क. अंधापन व दृष्टिबाधिता।
- ख. बधिरता व सुनने में कठिनाई।
- ग. गतिशीलता संबंधी विकलांगता
- घ. ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट अधिगम विकलांगता व मानसिक रोग
- ङ. बधिर अंधत्व समेत क से घ तक आने वाले लोगों में बहुविकलांगता।

**महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों के लिए अनुलग्नक-IV देखें**

## 5. परीक्षा केंद्र

भर्ती परीक्षा केवल दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में ही आयोजित की जाएगी।

## 6. प्रवेश-पत्र

- I. प्रवेश-पत्र परीक्षा की तारीख से 5 दिन पहले जारी किया जाएगा।
- II. प्रवेश-पत्र परीक्षा अनुभाग (एम्स, नई दिल्ली) की वेबसाइट [www.aiimsexams.ac.in](http://www.aiimsexams.ac.in) पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को वेबसाइट [www.aiimsexams.ac.in](http://www.aiimsexams.ac.in) पर लॉगिन करके अपना प्रवेश-पत्र डाउनलोड करना है। कोई भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा।
- III. अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ अपना प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र पर लाना है और परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए निरीक्षक को सौंपना है। ऐसा करने में असफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

## 7. परीक्षा का पैटर्न, योजना और पाठ्यक्रम

### परीक्षा की योजना

1. चरण-I: लिखित/कंप्यूटर आधारित परीक्षा ;
2. चरण-II: साक्षात्कार।

### 1. चरण-I: लिखित/कंप्यूटर आधारित परीक्षा – 100 अंक

वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों का एक प्रश्न-पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे, जिनमें से एक सही विकल्प होगा।

प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटा जाएगा।

अनुत्तरित प्रश्नों या समीक्षा हेतु चिह्नित प्रश्नों के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे।

100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वितरण निम्नानुसार है:

अनुसंधान पद्धति (मूल सिद्धांत), मूल जैव-सांख्यिकी, नैदानिक एवं स्क्रीनिंग परीक्षणों की वैधता एवं विश्वसनीयता, जैव-नैतिकता, संचारी रोग, असंचारी रोग, प्रजनन एवं बाल पोषण, तार्किक तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान तथा अंग्रेजी भाषा योग्यता के क्षेत्र/विषय से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे।

**नोट: लिखित परीक्षा/सीबीटी (चरण-I) केवल अर्हकता प्रकृति की होगी और अंतिम चयन/योग्यता सूची अभ्यर्थियों के केवल साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर ही तैयार की जाएगी।**

जब तक अन्यथा स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो, पात्रता निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख आवेदन की अंतिम तारीख होगी।

### अर्हता मानदंड:

सीबीटी/लिखित परीक्षा (चरण-I) में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चरण- II अर्थात् साक्षात्कार के लिए पात्र माना जाएगा। यद्यपि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ अंक 45% होंगे।

लिखित/सीबीटी परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा।

परीक्षा के दौरान प्रश्नों के तकनीकी पहलुओं पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा। यदि भर्ती परीक्षा में किसी प्रश्न में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने माय पेज(MyPage) में उपलब्ध लिंक के माध्यम से प्रश्न के लिए प्रतिवेदन (Representation for Questions) (RFQ) खंड में आपत्ति दर्ज करवाएं। यह लिंक परीक्षा समाप्त होने के 24 घंटे बाद तक सक्रिय रहेगा।

**चरण-II: साक्षात्कार - साक्षात्कार का आयोजन आईसीएमआर, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा।** दस्तावेजों की अंतिम जाँच दस्तावेजों के सत्यापन के समय आईसीएमआर, नई दिल्ली में की जाएगी।

साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले पात्र उम्मीदवारों की कुल संख्या, चरण-I में योग्यता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों (अना/आ.पि.व./अनु. जा./अनु. जन./अ.पि.व./दिव्यांगजन) में विज्ञापित पदों की संख्या का पाँच (5) गुना होगी।

## 8. योग्यता सूची तैयार करना और सम-स्थिति के मामलों का समाधान

- सभी श्रेणी अर्थात् अना./आ.पि.व./अनु. जा./अनु. जनजा./अ.पि.व./दिव्यांगजन के लिए अंतिम योग्यता सूची, अभ्यर्थी द्वारा केवल साक्षात्कार में किए गए प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।

### वैज्ञानिक-बी (नॉन-मेडिकल) पदों के लिए सम-स्थिति के मामलों का निपटारा

यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर आते हैं, तो समस्थिति का मामलों के समाधान निम्न प्रकार से किया जाएगा।

- सर्वप्रथम चरण-I (लिखित/सीबीटी) में गलत जवाबों की संख्या/नेगेटिव अंकों को देखा जाएगा, जिसमें कम गलत जवाबों / नेगेटिव अंक प्राप्त वाले अभ्यर्थियों को ऊपर रखा जाएगा;
- यदि (i) से समाधान नहीं होता है, तो दोनों में से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी की जन्म-तिथि का उपयोग करके उसे ऊपर रखा जाएगा, फिर भी समाधान न होने की स्थिति में नाम की वर्णमाला का क्रमानुसार प्रयोग किया जाएगा।

## 9. स्क्राइब और प्रतिपूरक समय के नियम

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के 29 अगस्त 2018 के कार्यालय जापन तथा 8 फरवरी, 2019 के शुद्धिपत्र और 10 अगस्त 2022 के कार्यालय जापन के अनुसार स्क्राइब और प्रतिपूरकता के समय के नियम।

### स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय के लिए पात्रता

- आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) के अंतर्गत परिभाषित बैचमार्क विकलांगता (दिव्यांगजन) वाले व्यक्ति
  - दृष्टिहीनता, गतिशीलता संबंधी विकलांगता (दोनों हाथ प्रभावित - BA) और मानसिक पक्षाघात जैसी बैचमार्क विकलांगता वाले लोगों को यदि वे चाहें तो परिशिष्ट A पार्ट A-1 के अनुसार एक स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी।
  - दृष्टिहीनता, गतिशीलता संबंधी विकलांगता(दोनों हाथ प्रभावित-BA) और मानसिक पक्षाघात श्रेणी के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को, यदि वे चाहें तो परिशिष्ट A पार्ट A-1 के अनुसार स्व घोषणा-पत्र के आधार पर उन्हें हर घंटे पर बीस मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाता है।
  - आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) के अंतर्गत परिभाषित बैचमार्क विकलांगता वाले अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के मामले में, ऐसे आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में सरकारी हेल्थ केयर संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा जारी किया हुआ (परिशिष्ट ए भाग ए -1 और ए -2 दोनों) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर स्क्राइब / प्रतिपूरक समय की सुविधा दी जाएगी, जिसमें यह उल्लिखित हो कि संबंधित व्यक्ति लिखने में शारीरिक रूप से असमर्थ है और उनकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब अनिवार्य है।
- एमएस के निदेशानुसार स्क्राइब को एम्स पोर्टल पर पंजीकरण करना पड़ सकता है।

ii. आरपीडब्ल्यूडी नियम, 2016 की धारा 2(s) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन, परंतु नियम की धारा 2 (r) के अंतर्गत नहीं आने वाले लोग, अर्थात ऐसे लोग जिनकी दिव्यांगता 40% से कम है और जिन्हें लिखने में दिक्कत होती है।

क. आरपीडब्ल्यूडी नियम, 2016 की धारा 2(r) के अंतर्गत बताई गई बेंचमार्क विकलांगता से कम विकलांगता वाले लोगों के मामले में, स्क्राइब की सुविधा और/या प्रतिपूरक समय केवल उन लोगों को ही दिया जाएगा जिन्हें लिखने में दिक्कत होती है, बशर्ते उन्हें एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना है कि संबंधित व्यक्ति शारीरिक रूप से लिखने में असमर्थ है और उसकी तरफ से परीक्षा लिखने के लिए एक स्क्राइब की ज़रूरत है, जो निर्धारित प्रारूप में किसी सरकारी हेल्थ केयर संस्थान के सक्षम चिकित्सक प्राधिकारी/अधिकारी (परिशिष्ट A, भाग A-1 और A-3 दोनों) द्वारा जारी किया गया हो।

#### नोट:

1. सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र पंजीकरण के समय ही अपलोड करने होंगे, ऐसा न करने पर परीक्षा के दिन कोई सुविधा नहीं दी जाएगी।
2. अभ्यर्थी को अपना स्क्राइब चुनने या परीक्षा अनुभाग से इसके लिए निवेदन करने की स्वतंत्रता है, और परीक्षा के लिए आवेदन पूरा करते समय अपना विकल्प देना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी अपना स्क्राइब स्वयं चुनता है, तो परीक्षा से पहले चयनित स्क्राइब से संबंधित अतिरिक्त जानकारी मांगी जाएगी। उनके स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंडों से एक स्तर कम होगी। हालाँकि, स्क्राइब की योग्यता हमेशा मैट्रिक पास ही होगी। यदि अभ्यर्थी ने अपना स्क्राइब स्वयं चुना है और परीक्षा के दिन वह अपना स्क्राइब नहीं लाता है, तो एम्स के लिए नए स्क्राइब की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा।
4. एम्स अपने स्तर पर स्क्राइब न देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
5. यदि अभ्यर्थी ने अपना स्वयं का स्क्राइब चुना है, तो उसके पारिश्रमिक/मानदेय/यात्रा भत्ता की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
6. स्क्राइब केवल अभ्यर्थी को सहायता प्रदान कर सकता है, अर्थात अनुदेश, परीक्षा-पत्र पढ़ने में और माउस क्लिक करने में, यदि अभ्यर्थी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। प्रश्न-पत्र की व्याख्या/विवेचना करना वर्जित है और इसके परिणामस्वरूप उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और स्क्राइब के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
7. उक्त विवरण के अनुसार स्क्राइब और/या प्रतिपूरक के लिए पात्र सभी व्यक्तियों को परीक्षा के प्रति घंटे पर कम से कम 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए दिशा-निर्देश/अनुदेश:- [www.aiimsexams.ac.in](http://www.aiimsexams.ac.in) पर ऑनलाइन उपलब्ध सहायता पुस्तिका देखें। संपर्क विवरण के लिए अनुलग्नक-V देखें।

#### 10. कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई

एम्स, नई दिल्ली द्वारा उन व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी जो निम्नलिखित कारणों से कदाचार के दोषी पाए जाते हैं (जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है)

- क. निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए सहायता लेना, अर्थात्: - परीक्षा के संचालन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से परितोषण की पेशकश करना; या उस पर दबाव डालना; या ब्लैकमेल करना, या ब्लैकमेल करने की धमकी देना; या
- ख. प्रतिरूपण; या किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाना; या
- ग. किसी भी व्यक्ति द्वारा कंप्यूटर कंसोल/प्रश्न पत्र आदि से अभ्यर्थियों सहित किसी भी प्रकार का कार्य या कार्य करने का प्रयास या किसी भी प्रकार से कार्य करने या कार्य करने के प्रयास में सहायता करना; प्रश्न को बाहर प्रेषित करना या किसी अन्य से बात करना या अन्य कंप्यूटर स्क्रीन में देखना या प्रश्न को न पढ़ने के उद्देश्य से स्क्रीन को तेज गति से इधर-उधर घुमाना; या कदाचार की ओर संकेत करता हुआ नोट किया गया अन्य कोई पैटर्न।
- घ. जाली दस्तावेज़ या छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज़ प्रस्तुत करना; या

- ड. केवल अभ्यास हेतु परीक्षा में बैठने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए शैक्षणिक योग्यता और/या अनुभव (जैसे प्रशिक्षण पूरा करना) के बारे में गलत जानकारी प्रदान करना; या
- च. आवेदन पत्र में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे के निशान के स्थान पर अप्रासंगिक फोटो अपलोड करना; या
- छ. छद्मवेश धारण करने के उद्देश्य से विकृत/डिजिटल रूप से संशोधित फोटो अपलोड करना; या
- ज. गलत या झूठे बयान देना या महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना; या
- झ. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का सहारा लेना, अर्थात्: अनुचित साधनों से प्रश्न प्राप्त करना; परीक्षा से संबंधित गुप्त कार्य से जुड़े व्यक्तियों के विवरण का पता लगाना; परीक्षा के संचालन से जुड़े कर्मियों को प्रभावित करना।
- ञ. परीक्षा के दौरान निषिद्ध वस्तुओं को अपने पास रखना या अनुचित साधनों का प्रयोग करना या नशे में होना।
- ट. प्रश्नों की नकल करना, परीक्षा हॉल में दुर्यवहार करना, जिसमें कॉपियाँ फाड़ना, साथी परीक्षार्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना, अव्यवस्था पैदा करना आदि शामिल हैं; या
- ठ. परीक्षा संचालन के उद्देश्य हेतु परीक्षा अनुभाग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों, वेंडर द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या शारीरिक क्षति पहुँचाना।
- ड. परीक्षा के दौरान कोई भी मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ मोड में ही क्यों न हो), पेजर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्रामेबल डिवाइस या स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच आदि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संबंधित सहायक उपकरण जो चालू या बंद मोड में हो और संचार उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, को अपने पास रखना या उसका उपयोग करना; या
- ढ. अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश प्रमाण-पत्रों के साथ जारी किए गए किसी भी अनुदेश का उल्लंघन करना जो उन्हें परीक्षा देने की अनुमति देता है; या
- ण. बिना उचित अनुमति के सीट/प्रश्नपत्र/किसी भी उपकरण को बदलना और कंप्यूटर स्क्रीन/माउस/की-बोर्ड बदलना।
- त. परीक्षा में भाग लेने के बाद विज्ञापन की शर्तों पर विवाद करना।
- थ. कोई स्क्राइब बताई गई सहायता जैसे कि अनुदेश पढ़ना, परीक्षा पत्र पढ़ना और माउस क्लिक करने के स्थान पर प्रश्न हल करता हुआ पाया गया।
- द. यदि कोई अभ्यर्थी एम्स द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दी जाएगी।
- ध. जैसा भी मामला हो, पूर्वगामी खंडों में विनिर्दिष्ट सभी या किसी भी कार्य को करने का प्रयास करना या उसके लिए उकसाना; स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है: -
- और एम्स, नई दिल्ली द्वारा इस/या अन्य परीक्षाओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जिसके लिए वह अभ्यर्थी है; और/या
  - स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट समय के लिए वंचित किया जा सकता है: -
    - एम्स, नई दिल्ली के परीक्षा अनुभाग द्वारा, आयोजित किसी भी परीक्षा या चयन से;
    - सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कोई अन्य दंड।
  - यदि वे पहले से ही सरकार के अधीन सेवा में हैं, तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत निम्नलिखित के अलावा कोई दंड नहीं लगाया जाएगा: -

- अभ्यर्थी को लिखित रूप में ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देना जो वह उस संबंध में करना चाहे; और
- अभ्यर्थी द्वारा उसे दिए गए समय के भीतर प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करना।

iii) हालाँकि, मामले की गंभीरता के आधार पर, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली, के निदेशक विवेकानुसार परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के उपयोग के लिए नोटिस जारी किए बिना/कारण बताए बिना उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो एम्स, नई दिल्ली द्वारा किसी अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के साथ मिली भगत करके उपरोक्त खंड 24 क से 24 द में सूचीबद्ध किसी भी गलत कार्य को करने या उसमें सहयोग करने का दोषी पाया जाता है, तो वह खंड 24 ध के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

## 10. कानूनी क्षेत्राधिकार

विज्ञापित पद के किसी भी पद पर चयन हो जाने के बाद, नियुक्ति का स्थान आईसीएमआर, नई दिल्ली के अधीन या संबंधित आईसीएमआर, जहां एम्स, नई दिल्ली केवल परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था है, के लागू नियमों के अनुसार होगा और सीटों का आवंटन संबंधित संस्थान द्वारा सूचित रिक्तियों के अनुसार योग्यता और अनंतिम रूप से योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट एवं चुनाव के आधार पर किया जाएगा। एम्स, नई दिल्ली भर्ती नियमों, किसी प्रकार की छूट/राहत, नियुक्ति में विलंब, पात्रता के आधार पर अस्वीकृति, दस्तावेज़ सत्यापन, समयावधि में विस्तार, सीटों की वापसी अथवा अन्य किसी भी प्रकार की समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस सदर्थ में, किसी भी मामले से संबंधित कोई भी विवाद केवल दिल्ली न्यायालयों के न्यायालयी अधिकार क्षेत्र में ही होगा।

## 12. अनुलग्नक-I: पात्रता

क्र. सं.	पद नाम	आयु-सीमा	अर्हकता
1	वैज्ञानिक-बी (नॉन-मेडिकल) स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपये) (7वें सीपीसी स्केल)	अधिकतम 35 वर्ष	<b>शैक्षणिक अर्हकताएं:</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जैव-चिकित्सा विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर डिग्री। <b>वांछनीय:</b> सरकारी /निजी संस्थानों में जैव-चिकित्सा विज्ञान में पद से अपेक्षित कार्यों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास का अनुभव।
2	वैज्ञानिक-बी (नॉन-मेडिकल- आईटी/कम्प्यूटर विज्ञान) स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपये) (7वें सीपीसी स्केल)	अधिकतम 35 वर्ष	<b>शैक्षणिक अर्हकताएं:</b> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमई/एम.टेक (कंप्यूटर विज्ञान) अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमई/एम.टेक (कंप्यूटर विज्ञान)/एमसीए या 4 वर्षीय बी.ई. या बी.टेक या बी.एससी (इंजीनियरिंग) (कंप्यूटर विज्ञान/आईटी) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित विषय में पीएच.डी। <b>वांछनीय:</b> सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी संस्थानों में कार्य की आवश्यकता से संबंधित जैवचिकित्सा विज्ञान से जुड़े अनुसंधान एवं विकास का अनुभव।
3	वैज्ञानिक-बी (नॉन-मेडिकल- फार्माकोलॉजी)	अधिकतम 35 वर्ष	<b>शैक्षणिक अर्हकताएं:</b> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मसी (फार्माकोलॉजी) में स्नातकोत्तर। अथवा यूजीसी/पीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त फार्म-डी डिग्री।

		<b>वांछनीय:</b> सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी संस्थानों में कार्य की आवश्यकता से संबंधित जैव-चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास का अनुभव।
--	--	---

**\*नोट:**

वैज्ञानिक-बी (नॉन-मेडिकल -आईटी/कंप्यूटर विज्ञान) से अपेक्षित कार्य: “सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी संस्थानों में जानवरों के विकल्प के रूप में नियामक नई दृष्टिकोण विधियाँ (एनएएम) है”।

1. वैज्ञानिक-बी (नॉन-मेडिकल -फार्माकोलॉजी) के लिए से अपेक्षित कार्य: “पूर्व-नैदानिक/प्रायोगिक फार्माकोलॉजी” है।

**13. अनुलग्नक-II: पदों की संख्या**

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	आरक्षण बिंदु
1.	वैज्ञानिक-बी (नॉन-मेडिकल) स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपये) (7वें सीपीसी स्केल)	25	अना.-16, अ.पि.व.-4, अनु जाति-3, अनु जनजाति-2, (पीडब्ल्यू-4) निम्नलिखित चिन्हित आरक्षित उपश्रेणियों के साथ: क. अंधापन एवं कम दृष्टि - 1 ख. बधिर और सुनने में कठिनाई- 1 ग. गतिशीलता विकलांगता - 1 घ. ऑटिज़्म, बौद्धिक विकलांगता, सीखने में विशिष्ट विकलांगता और मानसिक बीमारी - 1 ड. क से घ के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में बहु-विकलांगता, जिसमें बधिर अंधापन शामिल है
2.	वैज्ञानिक-बी (नॉन-मेडिकल-आईटी/कंप्यूटर विज्ञान) स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपये) (7वें सीपीसी स्केल)	1	अना.-1
3.	वैज्ञानिक-बी (नॉन-मेडिकल-फार्माकोलॉजी)	1	अना.-1
	<b>कुल</b>	<b>27*</b>	

- उपरोक्त रिक्तियों का स्थान आईसीएमआर की आवश्यकताओं के अनुसार दिल्ली (एनसीआर) और देश भर में आईसीएमआर के 28 किसी भी संस्थान/केंद्र में होगा।

**14. अनुलग्नक-III: भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लिए आयु में छूट**

सभी श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों को आयु में 5 वर्ष की छूट की अनुमति है

**नोट-I:** भूतपूर्व सैनिकों जिन्होंने पुनर्नियुक्ति के लिए दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ प्राप्त करके केंद्रीय सरकार के अंतर्गत नियमित आधार पर सिविल सेवा में नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं। हालाँकि, वे नियमों के अनुसार आयु में छूट पाने के हकदार हैं।

**नोट-II:** सशस्त्र बलों में भूतपूर्व सैनिक की "कॉल-अप सेवा" के समय को भी नियमों के अनुसार आयु में छूट के प्रयोजनार्थ सशस्त्र बलों में की गई सेवा माना जाएगा।

**नोट-III:** आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी भी सैनिक को भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए, उसे पद के लिए आवेदन जमा करते समय भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त हो और/या वह सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपनी अर्जित पात्रता को स्थापित करने की स्थिति में हो कि वह आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख से एक वर्ष के निर्धारित समय के भीतर सशस्त्र बलों से अपना विनिर्दिष्ट नियुक्ति समय पूरा कर लेगा या कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के अलावा किसी अन्य माध्यम से ऐसा नहीं किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण:** 'भूतपूर्व सैनिक' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है -

- (i) जिसने भारत संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, और
- (क) अपनी मर्जी से सेवानिवृत्त हुआ हो, सेवामुक्त हो गया हो या सेवा मुक्त कर दिया गया हो, या अपनी पेंशन मिलने के बाद नियोक्ता द्वारा सेवामुक्त किया गया हो; या
- (ख) जो मिलिट्री सेवा या उसके कंट्रोल से बाहर के हालात की वजह से मेडिकल आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया हो और जिसे मेडिकल या अन्य विकलांगता पेंशन दी गई हो; या
- (ग) जो कार्यबल की कटौती के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो; या
- (घ) निर्धारित समय पूरा करने के बाद, अपनी मर्जी से, या नौकरी से निकाले जाने या गलत काम या काम न करने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया हो और जिसे उपदान दिया गया हो; और इसमें प्रादेशिक सेना के वे लोग शामिल हैं, अर्थात् लगातार सेवा या योग्यता सेवा के कुछ हिस्सों के लिए पेंशनभोगी; या
- (ङ) आर्मी डाक सेवा के वे नियमित कर्मचारी जो आर्मी का हिस्सा हैं और अपनी मूल सेवा में पेंशनसहित वापस आए बिना आर्मी डाक सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं और जिन्हें आर्मी सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर के हालात की वजह से मेडिकल आधार पर आर्मी डाक से सेवामुक्त कर दिया गया है और जिन्हें मेडिकल या दूसरी विकलांगता पेंशन दी गई है; या
- (च) ऐसे कार्मिक, जो 14 अप्रैल, 1988 से पहले छह महीने से ज्यादा समय तक आर्मी डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या
- (छ) प्रादेशिक सेना के जवानों समेत सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या
- (ज) एक्स-रिक्रूट्स जिन्हें मेडिकल आधार पर बोर्ड आउट या कार्यमुक्त किया गया हो और मेडिकल विकलांगता पेंशन दी गई हो

**नोट-IV:** भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों एवं आश्रितों को आयु में छूट स्वीकार्य नहीं है।

#### 15. अनुलग्नक- IV: दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण:

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 (1) में उल्लेखित विकलांगताओं में से दिव्यांगजन अभ्यर्थी, जैसा कि दिव्यांगजन श्रेणी (सी) के लिए संस्थान द्वारा पहचाना गया है, दिव्यांगजन के अधीन आरक्षण का अनुपालन करते हुए, इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते उनके पास 40% के बराबर या उससे अधिक की बैचमार्क विकलांगता हो।
  - क. अंधापन व कम दिखाई देना।
  - ख. बधिरता व सुनने में कठिनाई।
  - ग. गतिशीलता संबंधी विकलांगता।
  - घ. ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट अधिगम विकलांगता व मानसिक रोग।
  - ङ. बधिर अंधत्व समेत क से घ तक आने वाले लोगों में बहुविकलांगता।
 उपर्युक्त चिन्हित श्रेणियों के अलावा कोई भी अभ्यर्थी दिव्यांगजन अभ्यर्थी के लिए आरक्षित सीटों का पात्र नहीं होगा।
- धारा 2(r) के अनुसार, “बैचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति से तात्पर्य है- एक ऐसा व्यक्ति जिसकी विनिर्दिष्ट विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, जहाँ विनिर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है और इसमें वह विकलांगता वाला व्यक्ति भी शामिल है जिसकी विनिर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है, तदनुसार दिव्यांगजन कोटे के लिए सही रूप में पहचाने गए पदों हेतु और उनके लिए आरक्षित पदों के सामने बताए गए पदों के लिए अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उक्त पदों के लिए योग्य हैं और उनके पास अपेक्षित विकलांगता प्रमाण-पत्र है।

- किसी अभ्यर्थी के साक्षात्कार/लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, ऐसे अभ्यर्थी आईसीएमआर द्वारा गठित बोर्ड के चिकित्सा परीक्षण के अधीन होंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसे अभ्यर्थी उक्त पद/नौकरी के लिए उपयुक्त हैं।
- डीओपीटी के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/02/2017-स्थापना (आरक्षण), बेंचमार्क विकलांगता वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए समान मानक लागू होगा, फिर चाहे वे अनारक्षित/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग/आर्थिक पि. वर्ग श्रेणी से हों। किसी भी श्रेणी के किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में किसी प्रकार की (कोई भी) अन्य छूट विचारणीय या स्वीकार्य नहीं है।

### 16. अनुलग्नक-V : संपर्क जानकारी

जानकारी सूचना पुस्तिका/विज्ञापन में निर्धारण समय-सारणी के अनुसार ही प्रदर्शित की जाएगी। आवेदन प्राप्त/स्वीकृति/प्रवेश-पत्रों को जारी करने से संबंधित किसी भी सूचना के संबंध में सूचना पुस्तिका विज्ञापन में उल्लेखित तारीख से पूर्व किसी भी टेलीफोन जाँच-पड़ताल (पूछताछ) या लिखित अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

परीक्षा से जुड़ी पूछताछ सिर्फ **My page** के ज़रिए “RAISE A QUERY” पर की जाएगी। आवेदक द्वारा किसी भी अन्य संचार माध्यम को संक्षेप में खारिज़ कर दिया जाएगा।

[www.aiimsexams.ac.in](http://www.aiimsexams.ac.in)

सहायक नियंत्रक (परीक्षा)

परीक्षा अनुभाग

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS)

अंसारी नगर, नई दिल्ली -110029

स्क्राइब/प्रतिपूरक का प्रयोग करने के लिए दिया जाने वाला वचनबद्ध प्रमाण-पत्र  
(इस सूचना-पुस्तिका की महत्वपूर्ण तारीखों में विनिर्दिष्ट तारीख तक या उससे पहले जमा किया जाए)

मैं \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (विकलांगता/स्थिति की प्रकृति) वाला/वाली एक अभ्यर्थी हूँ, जो ज़िले \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (राज्य का नाम) में \_\_\_\_\_ (परीक्षा का नाम) के लिए उपस्थित हो रहा/रही हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता \_\_\_\_\_ है।

मैं निम्नलिखित अनुरोध करता/करती हूँ और परीक्षा की प्रक्रिया का अनुपालन करने का उत्तरदायित्व देता/देती हूँ: -  
(विकल्प क या ख में से किसी एक को चुनें/टिक करें)

क. स्क्राइब के लिए (जहां लागू हो, वहां क्रम संख्या 1 या 3 पर टिक करें):

- मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि \_\_\_\_\_ (स्क्राइब का नाम) उपर्युक्त परीक्षा में उपस्थित होने हेतु अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा/करेगी।
- मैं यह वचन देता/देती हूँ कि उसकी योग्यता \_\_\_\_\_ है। तत्पश्चात, यदि यह पाया जाता है कि उक्त व्यक्ति की योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित विवरणों के अनुरूप नहीं है तथा उससे अधिक है, तो मैं पद व इससे संबंधित प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/उपाधि व अन्य दावों के अधिकार से वंचित हो जाऊंगा/जाऊंगी।

या

- मैं एम्स, नई दिल्ली से उपर्युक्त परीक्षा में मेरी मदद करने के लिए एक स्क्राइब देने का अनुरोध करता/करती हूँ।

नोट: जैसा कि ऊपर बताया गया है कि स्क्राइब लेने वाले सभी लोगों को प्रतिपूरक समय दिया जाएगा।

ख. प्रतिपूरक समय के लिए (स्क्राइब के बिना):

मेरी शारीरिक कमी, मेरी लिखने की क्षमता में बाधा डालती है, तथा मुझे प्रतिपूरक समय की आवश्यकता है। यदि यह पाया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित सूचना गलत पाई जाती है, मैं पद व इससे संबंधित प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/उपाधि व अन्य दावों के अधिकार से वंचित हो जाऊंगा/जाऊंगी।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(यदि अभ्यर्थी नाबालिग है, तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

कृपया ध्यान दें कि इसके साथ ही आपको विवरणिका में बताया गया कोई भी अन्य प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) नियत तारीख के भीतर ही जमा करना होगा, ऐसा न करने पर ऊपर दी गई सुविधाएं नहीं दी जाएंगी।

नोट: जब तक विज्ञापन में अन्यथा न बताया जाए, तब तक वचनबद्धता (क-1) के साथ परिशिष्ट-क-2/परिशिष्ट क-3 अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए कृपया विज्ञापन के स्क्राइब और प्रतिपूरक समय के नियम खंड देखें।

परीक्षार्थी के परीक्षा में लिखने में शारीरिक बाध्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र  
(इस सूचना पुस्तिका में उल्लेखित महत्वपूर्ण तिथियों में विनिर्दिष्ट तिथि से पहले या उसी तारीख तक  
प्रस्तुत किया जाए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने परीक्षार्थी श्री/श्रीमती/सुश्री \_\_\_\_\_ (विकलांग अभ्यर्थी का नाम), जिनके प्रमाण-पत्र में उल्लेखित \_\_\_\_\_ (विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत) \_\_\_\_\_ प्रतिशत विकलांगता है, श्री \_\_\_\_\_ के पुत्र/पुत्री, निवासी (ग्राम/जिला/राज्य) की जांच की है। और परीक्षण के आधार पर यह पाया गया कि उनकी विकलांगता के कारण उनकी लिखने की क्षमता में शारीरिक बाध्यताएँ हैं।

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक  
सरकारी स्वास्थ्य संस्थान

मोहर सहित सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थान: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

**नोट:**

यह प्रमाण-पत्र प्रासंगिक क्षेत्र/विकलांगता के विशेषज्ञ (उदाहरणतः दृष्टि-बाधितता के लिए नेत्र रोगविशेषज्ञ; गतिशीलता विकलांगता के लिए अस्थि-चिकित्सा विशेषज्ञ/PMR विशेषज्ञ) द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

कृपया सुनिश्चित करें कि इस प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त, यदि लागू हो, तो कोई भी अन्य प्रमाण-पत्र सूचना-पुस्तिका में उल्लेखित नियत तिथि से पहले अथवा उसी तिथि तक जमा करना अनिवार्य है; अन्यथा उपर्युक्त सुविधाएँ प्रदान नहीं की जाएँगी।

आरपीडब्ल्यूडी (RPwD) अधिनियम, 2016 की धारा 2 (s) के अंतर्गत आने वाली विनिर्दिष्ट विकलांगता परिभाषा के अधीन आने वाले व्यक्तियों हेतु प्रमाण-पत्र सम्मिलित है परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (r) की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं, अर्थात् जिनकी विकलांगता 40% से कम है और जिन्हें लिखने में कठिनाई है।

\*\*\*\*\*

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/सुश्री \_\_\_\_\_ (अभ्यर्थी का नाम), पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_, निवासी \_\_\_\_\_ (ग्राम/डाकघर/थाना/जिला/राज्य), आयु \_\_\_\_\_ वर्ष, जो \_\_\_\_\_ (विकलांगता/स्थिति का प्रकार) से ग्रस्त हैं, की जांच की है। उनकी उपर्युक्त स्थिति के कारण लिखने की क्षमता में बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं तथा परीक्षा लेखन हेतु स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

- उपर्युक्त अभ्यर्थी कृत्रिम अंग एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवणयंत्र \_\_\_\_\_ (नाम उल्लेखनीय) जैसे सहायक उपकरणों का उपयोग करता/करती है, जो स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी के लिए आवश्यक हैं।
- यह प्रमाण-पत्र केवल भर्ती एजेंसियों एवं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया गया है और \_\_\_\_\_ तक मान्य रहेगा (अधिकतम छह माह अथवा चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित समय के अनुरूप)।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर एवं नाम	हस्ताक्षर एवं नाम	हस्ताक्षर एवं नाम	हस्ताक्षर एवं नाम	हस्ताक्षर एवं नाम
हड्डी रोग/ PMR विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोचिकित्सक/पुनर्वास मनोचिकित्सक/मनोचिकित्सक/विशेष शिक्षक	तंत्रिका रोग विशेषज्ञ (यदि उपलब्ध हो)	व्यावसायिक चिकित्सक (अगर उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो, (यदि उपलब्ध हो)
हस्ताक्षर एवं नाम				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/ मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी..... .अध्यक्ष				

मोहर सहित राजकीय अस्पताल/हेल्थ केयर केंद्र का नाम

स्थान :

दिनांक :

## परिशिष्ट ख: अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रमाण-पत्र का प्रारूप

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री  
\_\_\_\_\_ ग्राम/नगर \_\_\_\_\_, जिला/मंडल \_\_\_\_\_, राज्य/केंद्रीय शासित  
प्रदेश \_\_\_\_\_, उस समुदाय से संबंध रखता/रखती है जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता  
मंत्रालय के दिनांक संकल्प संख्या \_\_\_\_\_ द्वारा पिछड़ा वर्ग की मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कुमारी  
\_\_\_\_\_ तथा/या उनका परिवार सामान्यतः उक्त जिला/मंडल, राज्य/केंद्रीय शासित प्रदेश में निवास करता है।  
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या  
36012/22/93-स्था. (एससीटी) की अनुसूची के स्तंभ 3 में उल्लेखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधिकारी \_\_\_\_\_

उपायुक्त \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

कार्यालय की मोहर \_\_\_\_\_

---

\*प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस निर्णय के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में सूचीबद्ध है।

\*\*समय-समय पर संशोधित किया गया।

नोट: यहाँ प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः"का अर्थ लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिये गए अर्थ के समान होगा।

परिशिष्ट ग: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण-पत्र का प्रारूप

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए प्रमाण-पत्र प्रोफार्मा  
(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र)

सरकार

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)

प्रमाण-पत्र संख्या: \_\_\_\_\_ दिनांक: \_\_\_\_\_ वित्तीय वर्ष: \_\_\_\_\_ यह  
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/पत्नी \_\_\_\_\_ के स्थायी निवासी, \_\_\_\_\_ ग्राम/सड़क  
\_\_\_\_\_, डाकघर \_\_\_\_\_, जिला \_\_\_\_\_,  
राज्य/केंद्रीय शासित प्रदेश \_\_\_\_\_, पिन कोड \_\_\_\_\_, जिनका फोटो नीचे सत्यापित किया  
गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित हैं, क्योंकि उनके परिवार की सकल वार्षिक आय\* वित्तीय वर्ष  
\_\_\_\_\_ के लिए 8,00,000(आठ लाख मात्र) से कम है। उनके परिवार के पास निम्नलिखित संपत्तियाँ नहीं हैं\*\*\*:

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
  - II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवसीय फ्लैट।
  - III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवसीय भूखण्ड।
  - IV. अधिसूचित नगरपालिका के अलावा 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवसीय भूखण्ड।
- श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति .....के सदस्य हैं जो  
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों (केंद्रीय सूची) के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

अभ्यर्थी का  
हाल का  
पासपोर्ट  
साइज का  
स्त्यापित

हस्ताक्षर

कार्यालय की मोहर सहित

नाम \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

\*नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं जैसे वेतन, कृषि, व्यापार, पेशा, इत्यादि।

\*\*नोट 2: इस प्रयोजन के लिये "परिवार" में आरक्षण का लाभ व्यक्ति उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके/उसकी जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, शामिल हैं।

\*\*\*नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति की जांच करते समय एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या गांवों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है।

**EWS प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार दर्शाई गई हैं:**

(i) ज़िला मजिस्ट्रेट / अपर मजिस्ट्रेट / आयुक्त / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / उप-कलेक्टर / प्रथम श्रेणी के वेतनभोगी मजिस्ट्रेट / उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे न हों)

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।

(iv) उस क्षेत्र का उप-प्रभागीय अधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/या उसका परिवार निवास करता

परिशिष्ट -घ: सरकारी कर्मचारियों द्वारा आयु में छूट प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

(यह प्रपत्र उस कार्यालय या विभाग के प्रमुख द्वारा भरा जाए जिसमें अभ्यर्थी कार्यरत है।)

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ केंद्रीय/राज्य सरकार के सिविल कर्मचारी हैं तथा वर्तमान में वेतनमान \_\_\_\_\_ रुपये में \_\_\_\_\_ के पद पर नियमित/निरंतर 03 वर्ष से तैनात है।
2. उनके उक्त भर्ती के लिए \_\_\_\_\_ के पद के लिए आवेदन व दस्तावेजों के सत्यापन पर कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

टेलीफोन नं. \_\_\_\_\_

कार्यालयी मोहर \_\_\_\_\_

स्थान \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

ईमेल आई-डी \_\_\_\_\_